Report of compliance status as on 30.06.2022 regarding Hon'ble NGT order dated 11/03/2022 in the matter of I. A. 19/2022 in O.A. No. 326/2021, Bihari Lal Chaturvedi Vs Ministry of Jal Shakti &Ors.

1. Background

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of I. A. 19/2022 filed in Original Application No. 326 of 2021, Bihari Lal Chaturvedi Vs Ministry of Jal Shakti &Ors in order dated 11/03/2022,.directed as below:

1. *Grievance in this application is against encroachment of Yamuna floodplain by respondent no. 2, Yamuna Mission, Mathura. It is stated that though ostensibly acting to preserve and clean river Yamuna and undertaking plantation drive, in the grab of such activities, Yamuna floodplain is being encroached. The applicant has filed photographs showing construction on ghats and copies of complaints made to the authorities.*

2. *Joint committee comprising of statutory regulators/authorities, submitted after undertaking visit to the site on dated 12/01/2022 & 13/01/2022, it is clear that there are some unauthorised activities on the floodplain of the river. The committee has suggested demarcation of boundaries of riverbank and identifying responsible authorities for the protection of floodplain zones.There can be no two views that plantation and developing Bio-diversity parks in the flood plain zones are permitted activities but even such activities can be done as per law, including the Notification of NMCG. FPZ should not be encroached. Filling up soil, laying earthen walkways/roads or installation of other facilities and structures has to be as per requisite sanctions. Diversion of sewage drains has to be done properly and not in the manner found to have been done in the present case.*

3. *District magistrate, Mathura is directed to take further action in terms of recommendations of the joint committee along with DFO, Mathura, by coordinating with the concerned departments. Demarcation of FPZ be done and development of green belt and other river front development activities should be without any unauthorised and unregulated encroachments. Public*

participation should also be with due permissions. Report of compliance status as on 30.06.2022 be filled by District Magistrate, Mathura before the Registrar General of this Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferabley in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF by July 15, 2022.

2. Proceedings

In compliance of the above order, meetings were conducted on dates30.04.22, 09.05.22, 25.05.22, 08.06.22, 15.06.22, 22.06.22, 28.06.22 under chairmanship of DM/ADM with concerned departments. The concerned department comprised of the following:

1. Mathura-Vrindawan Nagar Nigam, Mathura
2. Apar Khand Agra Canal, Mathura
3. Revenue Department, Mathura
4. Social Forestry Department, Mathura
5. U P Pollution Control Board, Mathura
6. DPRO, Mathura

As per the minutes of the meeting held, the progressive compliance status chart has been annexed as Annexure-1.

3. **Compliance Status Report as on date 30.06.2022 as per order of Hon'ble NGT as per reports of the concerned departments is as follows:-**

Sl No.	Suggestions	Department	Compliance status as on 30.06.2022
1.	Concerned departments (Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Upper Div. Agra Canal, Irrigation dept. Mathura) should demark their boundaries on the riverbank and ensure no unauthorized activities should carried out on the riverbank of Yamuna.	Irrigation deptt.	Apar Khand Agra Canal, Mathura vide letter dated 28.06.2022 (Annexure-2)has intimated that i) There is no obstruction in natural flow of river ii) F. P. Z. (Flood Plain Zone) has been marked on both banks of Yamuna river iii) There is no land registered in the name of irrigation department near kans kila area and on right bank of Yamuna in vilage Retiya Muhal. Photographs of H.F.L. marks and map pf Flood Plain Zone has been attached with the above letter.
		Nagar Nigam	Mathura-Vrindawan Nagar Nigam has vide their letter dated27.06.2022(Annexure-3) has intimated that: i) Nagar Nigam has identified its boundaries in the area. ii) Pucca constructions constructed by yamuna Mission on Kans Tila, Gau Ghat etc. have been removed. iii) Pucca constructions made by Yamuna Mission have been removed by conducting a special drive and care will be taken in future iv) No tree/ sapling has been harmed during the drive and maintenance of plantations will be done in future in eco-friendly

			manner. Photographs of encroachment eviction drive have been attached with the letter.
2	Concern department should do the maintenance and management of the gahts cleanliness and preserve natural ecology of river Yamuna	Nagar Nigam	Mathura-Vrindawan Nagar Nigam has vide their letter dated 27.06.2022(Annexure-3) has intimated that i) Ghats falling in Nagar Nigam area viz. Vishram Ghat, Bengali Ghat, Swami Ghat etc are being regularly cleaned and maintained.
		DPRO	District Panchayat Raj department vide its letter dated 29.06.2022 (Annexure-4) intimated Ghats falling in the rural areas are being cleaned by Gram Panchayats.
		Pollution Control Board	U P Pollution Control Board vide its letter dated 28.06.22 (Annexure-5) has intimated that i) Yamuna river water quality monitoring is performed monthly at 09 places of river at Mathura. As per observation, River water quality is more deteriorated as river enters district Mathura and it slightly improves as river passed through Mathura district. ii) In order to improve the natural ecology of river at Mathura it has suggested few measures. Relevant data has been attached with the letter. Further U.P. Jal Nigam (Gramin) vide letter dated 22.06.22 has intimated that 07 drains existing in Yamuna mission encroached area are already tapped, no overflow goes to Yamuna river. (Annexure 6)

3	On the River bank of Yamuna Ghats, the unauthorized constructed corridor should restore in their natural stage	Nagar Nigam	Mathura-Vrindawan Nagar Nigam has vide their letter dated27.06.2022(Annexure-3) has intimated that: i) Pucca constructions constructed by yamuna Mission on Kans Tila, Gau Ghat etc. have been removed. ii) Pucca constructions made by Yamuna Mission have been remove by conducting a special drive and care will be taken in future iii) No tree/ sapling has been harmed during the drive and maintenance of plantations will be done in future in eco-friendly manner.
		Revenue deptt.	Revenue department vide their letter dated 23.06.2022 (Annexure-7) has stated that the concerned area is not under their jurisdiction.
4	As no permission has been taken by Yamuna Mission, Mathura for these unauthorised encroachments activities in the bank of Yamuna river by concern departments, so Hon'ble NGT may issue order to concerned	Nagar Nigam	As per annexures attached (Annexure 8) in report submitted in Hon'ble NGT in O.A. 326/2021, Mathura-Vrindawan Nagar Nigam has issued notices to Founder, Yamuna Mission dated 03.06.21 and 25.01.22 in order to remove unauthorised encroachment and construction. Further, Nagar Nigam has vide their letter dated27.06.2022(Annexure-3) has intimated that: i) Pucca constructions constructed by yamuna Mission on Kans kila, Gau Ghat etc. have been removed. ii) Pucca constructions made by Yamuna Mission have been remove by conductiong

	department to take appropriate action for these unauthorised activities		a special drive and care will be taken in future.
		Irrigation deptt.	As per annexures attached (Annexure 9) in report submitted in Hon'ble NGT in O.A. 326/2021, FIR has been lodged against Yamuna mission by Apar Khand Agra Canal, Mathura

Hence most respectfully, the compliance report is submitted as above in the compliance of order dated 11.03.22 of Hon'ble NGT in i.A. 19/2022 in O.A. 326/2021.

(Manoj Kumar Chaurasia)
Regional Officer (I/c)
U P Pollution Control Board
Mathura

(Yoganand Pandey)
A.D.M.(F/R)
Mathura

(Rajanikant Mittal)
Divisional Director
Social Forestry Division
Mathura

(Navneet Singh Chahal)
District Magistrate
Mathura

ANNEXURE-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में मूल ओरिजनल एप्लीकेशन सं0–326/2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मत्रांलय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 की अनुपालन प्रगति आख्या–

...0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई ...ली के आदेश दिनांक 11.03. ...2 के द्वारा दिये गये सुझाव	विभाग का नाम	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 15.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 22.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2022 तक सम्बन्धित विभाग स्तर से कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2022 तक सम्बन्धित विभाग स्तर से कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट
Concerned departments (Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Upper Div. Agra Canal, Irrigation dept. Mathura) should demark their boundaries on the river bank and ensure no unauthorized activities should carried out on the river bank of Yamuna	1–नगर निगम	–	–	–	–	खादर क्षेत्र मे यमुना मिशन द्वारा झोपडी पक्का निमार्ण आदि को चिन्हित करने हेतु दिनांक 17.06.22 को स्थलीय निरीक्षण का निर्णय हुआ।	नगर निगम द्वारा हटाये गये अतिक्रमण की प्रतिदिन प्रोग्रेस दी जाये।	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
	2–सिंचाई विभाग	साप्ताहिक कार्यवाही प्रगति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	अवगत कराया गया कि यमुना मिशन द्वारा किनारों पर किये गये अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर है।	यमुना मिशन द्वारा होर्डिंग्स एवं पक्का निमार्ण कर अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर किया गया है।	यमुना मिशन द्वारा होर्डिंग्स एवं पक्का निमार्ण कर अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर किया गया है।	यमुना नदी के वास्तविक बहाव के HFL, FPZ, RRZ की जांच हेतु दिनांक 17.06.22 को स्थलीय जांच का निर्णय हुआ	वास्तविक बहाव को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने मे मदद करते हुए प्रतिदिन प्रोग्रेस दी जाये।	पत्र दिनांक 28.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।	पत्र दिनांक 28.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
Concerned departments should do the maintenance and management of the 'ghats' cleanliness and preserve natural ecology of river Yamuna.	1–नगर निगम	–	–	–	–	–	–	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी
	2–ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी	–	–	ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले सम्भावित अतिक्रमण की जांच करा ली गयी।	ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले सम्भावित अतिक्रमण की जाच करा ली गयी।	ग्रामीण क्षेत्र मे पड़ने वाले सम्भावित अतिक्रमण की जांच करा ली गयी।	ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले सम्भावित अतिक्रमण की जांच करा ली गयी।	अनुपालन कर लिया गया। रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।	पत्र दिनांक 29.06.22 द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है।
	3–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	अपना पक्ष पत्र दिनांक 28.06.22 द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है।	अपना पक्ष पत्र दिनांक 28.06.22 द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है।
On the River bank of Yamuna Ghats, the unauthorized constructed corridor should restore in their Natural stage	1–नगर निगम	–	–	–	–	–	–	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी
	2–राजस्व विभाग	–	–	–	–	–	–	अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 23.06.22 द्वारा प्रेषित किया गया।	अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 23.06.22 द्वारा प्रेषित किया गया।
	3–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	यमुना नदी की मासिक जल गुणता अनुश्रवण किया जाता है।	कार्यालय पत्र दिनांक 28.06.22 द्वारा अनुपालन आख्या पेषित की गयी एवं जल निगम के पत्र दिनाक 22.06.22 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है।	कार्यालय पत्र दिनांक 28.06.22 द्वारा अनुपालन आख्या पेषित की गयी एवं जल निगम के पत्र दिनांक 22.06.22 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है।
As no permission has been taken by Yamuna Mission, Mathura for these unauthorized encroachments activities in the bank of Yamuna River by concern departments, so Honourable NGT Court may issue order to concerned departments	1–नगर निगम	यमुना मिशन को नोटिस दिनांक 03.06.21 जारी है।	यमुना मिशन को नोटिस दिनांक 03.06.21 जारी है।	यमुना मिशन को नोटिस दिनांक 03.06.21 जारी है।	यमुना मिशन को नोटिस दिनांक 03.06.21 जारी है।	–	–	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी	पत्र दिनांक 27.06.22 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी
	2–सिंचाई विभाग	यमुना मिशन के विरूद्व एफ0आई0आर0 वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया।	यमुना मिशन के विरूद्व एफ0आई0आर0 वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया।	यमुना मिशन के विरूद्व एफ0आई0आर0 वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया।	यमुना मिशन के विरूद्व एफ0आई0आर0 वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया।	–	–	–	–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में मूल ओरिजनल एप्लीकेशन सं0–326/2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मत्रांलय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 की अनुपालन प्रगति आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.03.2022 के द्वारा दिये गये सुझाव	विभाग का नाम	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 15.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 22.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2022 तक सम्बन्धित विभाग स्तर से कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट	बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2022 तक सम्बन्धित विभाग स्तर से कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट
to take appropriate action for these unauthorised activities."	3–राजस्व विभाग	–	–	–	–	–	–	अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 23.06.22 द्वारा प्रेषित किया गया।	अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 23.06.22 द्वारा प्रेषित किया गया।

ANNEXURE-2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा

पत्रांकः— 1968 / अपर / एन0जी0टी0 दिनांक— 28 / 06 / 2022

विषयः माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 326 / 2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मत्रांलय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विस्तृत सर्वे करके यमुना नदी के किनारों का चिन्हाकंन कर लिया। वर्तमान में यमुना नदी की धारा में कोई अवरोध नही है। अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा द्वारा यमुना मिशन संस्था को यमुना नदी के किनारे कार्य करने के लिये कोई भी अनुमति नही दी गयी है।

यह भी अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता प्रथम, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा द्वारा अपने पत्र संख्या— 305 / स0अ0प्र0 / एन0जी0टी0 दिनांक 28.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि कंस किला के आस—पास एवं यमुना नदी के दॉये किनारे पर ग्राम रेतिया मुहाल में सिंचाई विभाग के नाम कोई भूमि दर्ज नही है एवं मथुरा—हाथरस रेल लाइन से अपस्ट्रीम में 5.00 कि0मी0 दूरी तक दॉये किनारे पर H.F.L. का चिन्हाकंन कर दिया गया है तथा यमुना नदी के किनारों फलड प्लेन जोन को मार्क कर लिया है (H.F.L. मार्क के फोटोग्राफ्स, फलड प्लेन जोन का नक्शा संलग्न)।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

28/6/22
अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर,
मथुरा

पत्रांकः— / अपर / एन0जी0टी0 दिनांक— / 06 / 2022

प्रतिलिपि—

1. सहायक अभियन्ता प्रथम अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा को उनके पत्रांक 305 / स0अ0प्र0 / एन0जी0टी0 दिनांक 28.06.2022 के कम में प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर,
मथुरा

उत्तर प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा

Office of The Assistant Engineer I
Upper Division Agra Canal, Mathura

पत्रांकः— 305 / स0अ0प्र0 / एन0जी0टी0 दिनांक—28 / 06 / 2022

विषयः माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 326 / 2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मत्रांलय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

<u>अधिशासी अभियन्ता अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।</u>

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विस्तृत सर्वे करके यमुना नदी के किनारों का चिन्हाकंन कर लिया। वर्तमान में यमुना नदी की धारा में कोई अवरोध नही है। अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा द्वारा यमुना मिशन संस्था को यमुना नदी के किनारे कार्य करने के लिये कोई भी अनुमति नही दी गयी है।

यह भी अवगत कराना है कि जिलेदार द्वितीय, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा द्वारा अपने पत्र संख्या— मीमों दिनांक 28.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि कंस किला के आस—पास एवं यमुना नदी के दॉये किनारे पर ग्राम रेतिया मुहाल में सिंचाई विभाग के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। यमुना नदी के किनारे यमुना मिशन संस्था द्वारा किये पक्के कार्यो को नगर निगम मथुरा द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।

मथुरा—हाथरस रेल लाइन से अपस्ट्रीम में 5.00 कि0मी0 दूरी तक दॉये किनारे पर H.F.L. का चिन्हाकंन कर दिया गया है तथा यमुना नदी के किनारों फ्लड प्लेन जोन को मार्क कर लिया है (H.F.L. मार्क के फोटोग्राफ्स, फ्लड प्लेन जोन का नक्शा संलग्न)।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता प्रथम
अपर खण्ड आगरा नहर,
मथुरा

कार्यालय

जिलेदारी द्वितीय

अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

पत्रांक - भीमी

दिनांक 28/6/2022

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में मूल ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 326/2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.3.2022

सहा० अभि० महो० प्रथम मु० ए० सी० मथुरा

उपरोक्त विषयक पर अवगत कराना है कि ग्राम-रतिया-मुहाल (कंसकिला) के आस-पास एवं उसके सहारे/तलहटी में दांई तरफ ऊपर की ओर विभागीय कोई भूमि नहीं है। रिपोर्ट सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु सेवा प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)

जिलेदारी द्वितीय

अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

GFZ

AE

...ा मिशन ने कब्जाई नदी की भूमि पर चला बुलडोजर

...रुपये मूल्य की 50 एकड़ भूमि पर [illegible] निर्माण कर रोप दिए थे पौधे, नगर निगम ने एनजीटी के आदेश पर की कार्रवाई

...: यमुना नदी के किनारे ...मुहाल, जयसिंहपुरा खादर, ...घाट और गऊ घाट क्षेत्र ...यमुना मिशन संस्था के कब्जों ...नगर निगम का सात साल बाद बुलडोजर चला। इस समयावधि में संस्था ने करोड़ों रुपये मूल्य की करीब 50 एकड़ भूमि पर कच्चे-पक्के और पेड़-पौधे लगाकर कब्जा कर लिया था।

नदी किनारे निकाली जा रही समानांतर सड़क और बनाए जा रहे नालों को लेकर संस्था की नीयत में खोट नजर आया तो लोगों ने एनजीटी की शरण ली। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की। मंगलवार को निगम एनजीटी के आदेश की अनुपालन आख्या भेज देगा। इसके साथ ही अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई जारी रहेगी।

यमुना मिशन संस्था ने फरवरी 2015 से यमुना नदी के बहाव क्षेत्र में पेड़-पौधों को रोपने का कार्य आरंभ कर अतिक्रमण करना आरंभ किया। धीरे-धीरे कर संस्था ने रतिया मुहाल, जयसिंहपुरा खादर, चक्रतीर्थ घाट और गऊ घाट कच्चे-पक्के निर्माण भी करा दिए। कई घाटों को कब्जा कर गहरी झील में बदल दिया। यमुना की धारा को भी मोड़ दिया गया। सड़क और नाले भी बनवा दिए गए। जिस तरह संस्था सड़क निर्माण करा रही थी, उससे लोगों को संस्था की नीयत साफ नहीं दिखी। लोगों ने संस्था की शिकायत करना शुरू किया, अधिकारी खामोश रहे। संस्था ने सदर बाजार तक कच्ची सड़क भी नदी के समानांतर बना दी।

बिहारी लाल चतुर्वेदी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यमुना मिशन ने यमुना डूब क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर की और 28 फरवरी 21 को डीएम द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एनजीटी ने 11 मार्च 2022 को 30 जून तक अतिक्रमण हटाने के आदेश किए।

अनुपालन आख्या नगर निगम को प्राधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल के यहां दाखिल करने के आदेश भी दिए। एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम ने यमुना मिशन के कार्यों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बनाए गए नाले और सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं की।

...घाट पर यमुना मिशन द्वारा किए पक्का निर्माण को तोड़ती जेसीबी। दूसरे चित्र में सहायक ...आयुक्त राजकुमार मित्तल से विरोध जताते यमुना मिशन के कर्मचारी। जागरण

पकड़ी गई थी बिजली चोरी

यमुना मिशन ने नदी की भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए बिजली की चोरी भी की। विद्युत निगम की विजिलेंस टीम ने क्षेत्रीय एसडीओ मसानी गौरव कुमार की मौजूदगी में छापा मारा। टीम को चार सबमर्सिबल इससे मिले जो बिजली चोरी कर चलाए जा रहे थे। यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मुहल्ला मानिक चौक के नाम 6 जुलाई 2021 को विद्युत चोरी निरोधक थाना कृष्णा नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। करीब 4.17 लाख रुपये की बिजली चोरी हुई थी।

गुमराह कर रहा नगर निगम

विश्वधर्म रक्षक दल के विजय चतुर्वेदी ने नगर निगम पर आरोप लगाया, अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुमराह किए जाने की कोशिश की जा रही है। यमुना मिशन ने पुराने घाटों के आगे 30 फीट ऊंची कच्ची सड़क बना दी। वृंदावन से गोकुल तक गोचर भूमि कब्जा ली गई। झूला, कच्चे-पक्के निर्माण को हटाकर एनजीटी को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है, यमुना मिशन के संस्थापक के खिलाफ निगम को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए।

"यमुना नदी किनारे यमुना मिशन ने किए कब्जे को हटाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। मंगलवार को एनजीटी को अनुपालन आख्या रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अतिक्रमण का हटाने का कार्य भी जारी रहेगा। पौधों का नहीं तोड़ा जा सकता है।

राजकुमार मित्तल, सहायक नगर आयुक्त"

मंशापुरी कालोनी अवैध ...
स्थानीय लोगों में मची र...

जागरण संवाददाता, मथुरा: बीएसए कालेज मार्ग स्थित मंशापुरी कालोनी को विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया। चार जुलाई तक सभी निर्माण कार्यों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कालोनी में रह रहे लोगों में खलबली मची हुई है।

बीएसए मार्ग स्थित मंशापुरी कालोनी में विकास प्राधिकरण ने पोप सिंह ठाकर आदि के नाम से एक नोटिस चस्पा किया है। ये नोटिस दस जून को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना अवैध निर्माण कराया गया है। करीब चार बीघा क्षेत्रफल में बसी कालोनी में 425 भूखंड हैं। इन पर भवनों का निर्माण किया गया है। इसमें विद्युत लाइन बिछी हुई है। सड़क और नालियों का भी निर्माण कराया गया है। नोटिस में तत्काल प्रभाव से अवैध निर्माण और विकास कार्य को हटाने के लिए कहा गया है। पोप सिंह को चार जुलाई को दोपहर 12 बजे तक विकास प्राधिकरण सचिव के कार्यालय में उपस्थित होकर इसका जवाब देना है। विप्रा की इस कार्रवाई से मंशापुरी कालोनी के लोगों में ...

• विकास प्राधि... चस्पा किया ...
• प्राधिकरण ... अतिक्रमण ...

खलबली म... बिहारी स्था... पोप सिंह ... नहीं है। 2... का विकास ... लोग बाउ... बिजली ... हैं। कालो... है कि क... रहे हैं। ... याद अ... इस ... नोटिस ... देगा। ... कि ... किया ... प्राधि... ...

एक नजर में

...ई रिक्शा से छीना महिला का पर्स, गिरने से घायल

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन कर बस स्टैंड के लिए ई रिक्शा से लौट रही महिला का मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पर्स छीनने की कोशिश की। महिला ने पर्स दो नहीं ...छोड़ा और वह ई रिक्शा से गिरकर ...

कृष्णा कुटीर का गार्ड, वीआइपी ड्यूटी में लगे पुलिसक...

संवाद सहयोगी, मथुरा: कृष्णा कुटीर आश्रय सदन में तैनात गार्ड के कोरोना संक्रमित होने की खबर पर स्वास्थ्य अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। रविवार शाम को तत्काल उसे फोन कर ड्यूटी से हटाया गया और होम आइसोलेट किया गया। यहां सोमवार को राष्ट्रपति का आगमन ...

राष्ट्रपति आगमन से पूर्व संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मची अफरा-तफरी, सोमवार को 13 नए मरीज मिले

आइसोलेट किया गया। उधर, राष्ट्रपति की वीआइपी ड्यूटी में वाराणसी से बुलाया गया एक पुलिसकर्मी भी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में वाराणसी से आया 36 वर्षीय पुलिसकर्मी, भरत नगर से 60 वर्षीय वृद्ध, असेरा से 60 वर्षीय वृद्ध, तुमौला से 64 वर्षीय वृद्ध, गोवर्धन से 88 वर्षीय युवक, कृष्णा कुटीर से 39 वर्षीय पुरुष ...

यमुना पर अतिक्रमण से अनजान नहीं थे जिम्मेदार, अब चला पीला पंजा

यमुना मिशन के कब्जे पर पहली बार चला पीला पंजा, लम्बे समय से थी चर्चा

हर बात ब्यूरो

मथुरा। यमुना की धारा को बदलकर किनारे पर कब्जाई गई जमीन पर सोमवार को नगर निगम

का पंजा चला। इससे पहले यमुना मिशन के प्रदीप बंसल को निगम की ओर से कई नोटिस भिजवाए गए थे। इसका जवाब मिलने के बाद नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने 24 मार्च को यमुना मिशन का कब्जा हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत का आदेश दिया थे। इसके बाद लगातार कागजी कवायद की गई। सोमवार की कार्यवाही के दौरान सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने पूर्व निर्धारित चेतावनी के तहत सोमवार नगर निगम की टास्क फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान कुछ एक लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया लेकिन इसका नगर निगम की कार्यवाही पर कोई व्यापक असर नहीं हुआ और अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले विद्युत विभाग ने भी अपनी सप्लाई को काट दिया था। चक्रतीर्थ घाट से जयसिंहपुरा तक 50 एकड़ जमीन पर पौधरोपण के एवज में यमुना मिशन ने नगर निगम की जमीन का कब्जा किया है। यही नहीं इस जमीन पर झूले आदि भी लगा दिए गए थे। इससे पहले आठ अप्रैल को बुलडोजर से कब्जा मुक्त कराकर अपने बोर्ड इस जमीन पर लगाने का निर्णय लिया गया था लेकिन मामला किन्हीं कारणों से अटक गया था।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया। इन लोगों का तर्क था कि नगर निगम की टीम पौधों को नुकसान पहुंचा रही है। जबकि नगर निगम की टीम का कहना था वह सिर्फ कच्चे पक्के निर्माण हटा रही है। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों से टीम ने संपर्क किया। सहायक नगर आयुक्त मित्तल मौके पर पहुंच गए और कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। सोमवार को नगर निगम की टीम ने पक्के घाट को नहीं तोड़ा। इस पर नगर निगम के अधिकारियों का कहना था कि यह घाट सिंचाई विभाग के नियंत्रण में आता है। सिंचाई विभाग के साथ मिल कर इस पर फैसला लिया जाएगा और संयुक्त कार्यवाही का वह हिस्सा होगी। अगर सिंचाई विभाग घाट को तोड़ने का फैसला लेता है तो मंगलवार को घाट को तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल घाट के पीछे नगर निगम ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाया है।

वर्जन - अभी जो घाट बना हुआ है उसके लिए हमें सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही करनी होगी। सिंचाई विभाग यह तय करेगा कि घाट टूटना है या नहीं। नदी किनारे घाट बनाया गया है यह सिंचाई विभाग के अंतर्गत आ जाता है। सिंचाई विभाग अगर निर्णय कर लेता है तो हम लोग घाट को भी आकर हटा देंगे। अभी हमने घाट के पीछे के अतिक्रमण को हटाया है। कुछ लोगों ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की बात कही है हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाही की जाएगी। अभी हमने नगर निगम की जमीन पर घाट के पीछे हुए अतिक्रमण को हटाया है। - राजकुमार मित्तल, सहायक नगर आयुक्त

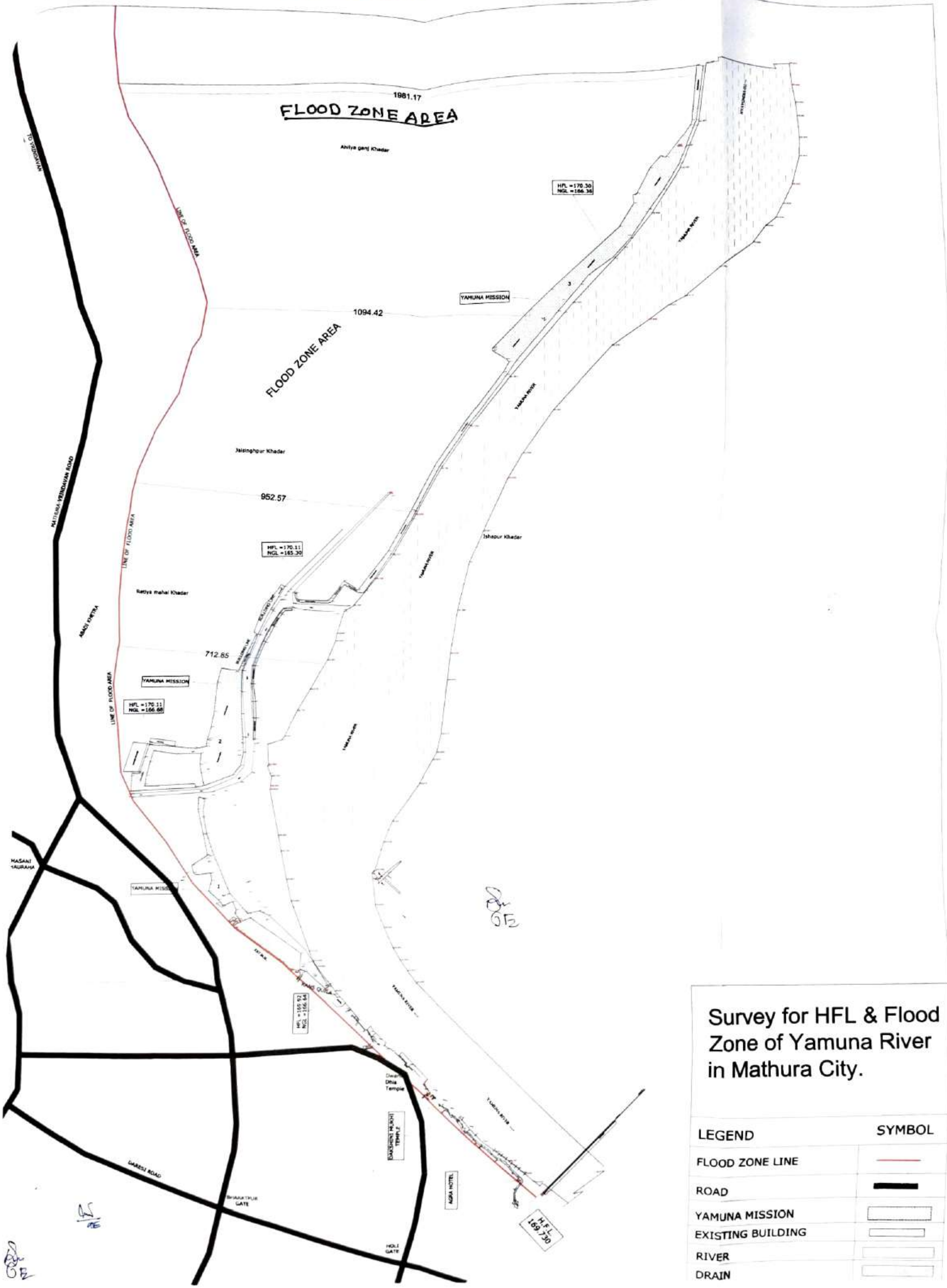
1981.17
FLOOD ZONE AREA
Ahilya ganj Khadar
TO VRINDAVAN
LINE OF FLOOD AREA
HFL =170.30
NGL =166.36
YAMUNA MISSION
1094.42
FLOOD ZONE AREA
YAMUNA RIVER
Jaisinghpur Khadar
952.57
MATHURA-VRINDAVAN ROAD
Ishapur Khadar
HFL =170.11
NGL =165.30
Retiya mahal Khadar
ABADI KHETRA
712.85
YAMUNA MISSION
HFL =170.11
NGL =166.68
LINE OF FLOOD AREA
MASANI
CHAURAHA
YAMUNA MISSION
HFL =169.92
NGL =166.64
Dwarka
Dhis
Temple
DARESHI ROAD
BHARATPUR
GATE
AGRA HOTEL
HOLI
GATE
H.F.L
169.730
Survey for HFL & Flood Zone of Yamuna River in Mathura City.
LEGEND
SYMBOL
FLOOD ZONE LINE
ROAD
YAMUNA MISSION
EXISTING BUILDING
RIVER
DRAIN

8

अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

यमुना नदी के किनारे कंस किला के पास घाट का अतिक्रमण

ANNEXURE-3

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्रांकः– 97 /स0न0आ0का0/न0नि0म0वृ0मथुरा/2022–23 दिनांक :–27.06.2022

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 326/2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 326/2021 बिहारीलाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मंत्रालय एवं अन्य में दिनांक 10.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा ग्राम रेतिया मुहाल एवं जयसिंहपुरा में नगर निगम की भूमि पर यमुना मिशन द्वारा वृक्षारोपण की आढ़ में किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटवाया जा रहा है। अभियान के दौरान हटाये गये अतिक्रमण के पूर्व एवं पश्चात् के फोटोग्राफ पत्र के साथ संलग्न है। अभियान में किसी भी पौधे/वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुँचायी गयी है और भविष्य में इन वृक्षों/पौधों का रख–रखाव भी पर्यावरण के अनुकूल किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय पत्रांक 29/0–80/2022 दिनांक 17.05.2022 द्वारा चाही गयी सूचना निम्नवत् हैः–

1. नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा अपनी भूमि की सीमाओं का चिन्हिकरण कर लिया गया है।
2. नगर निगम क्षेत्र में आने वाले विश्रामघाट, बंगालीघाट, स्वामीघाट आदि पक्के घाटों की सफाई का कार्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा कराया जा रहा है।
3. यमुना किनारे यमुना मिशन द्वारा कंस टीला, गऊघाट आदि घाटों पर किए गये पक्के निर्माणों को हटवा दिया गया है।
4. यमुना मिशन द्वारा किए गये पक्के निर्माणों को नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर हटवा दिया गया है तथा भविष्य में सतर्क दृष्टि बनाए रखी जायेगी।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

27/6/2022

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

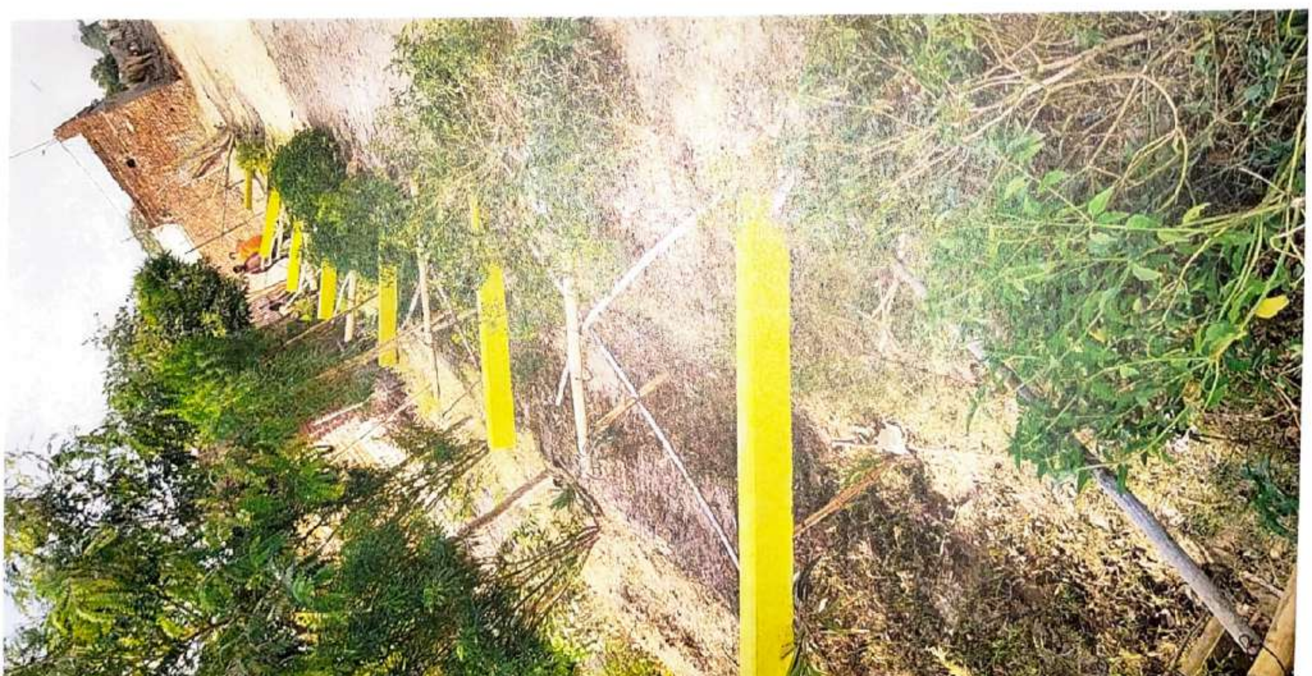

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

आयुक्त

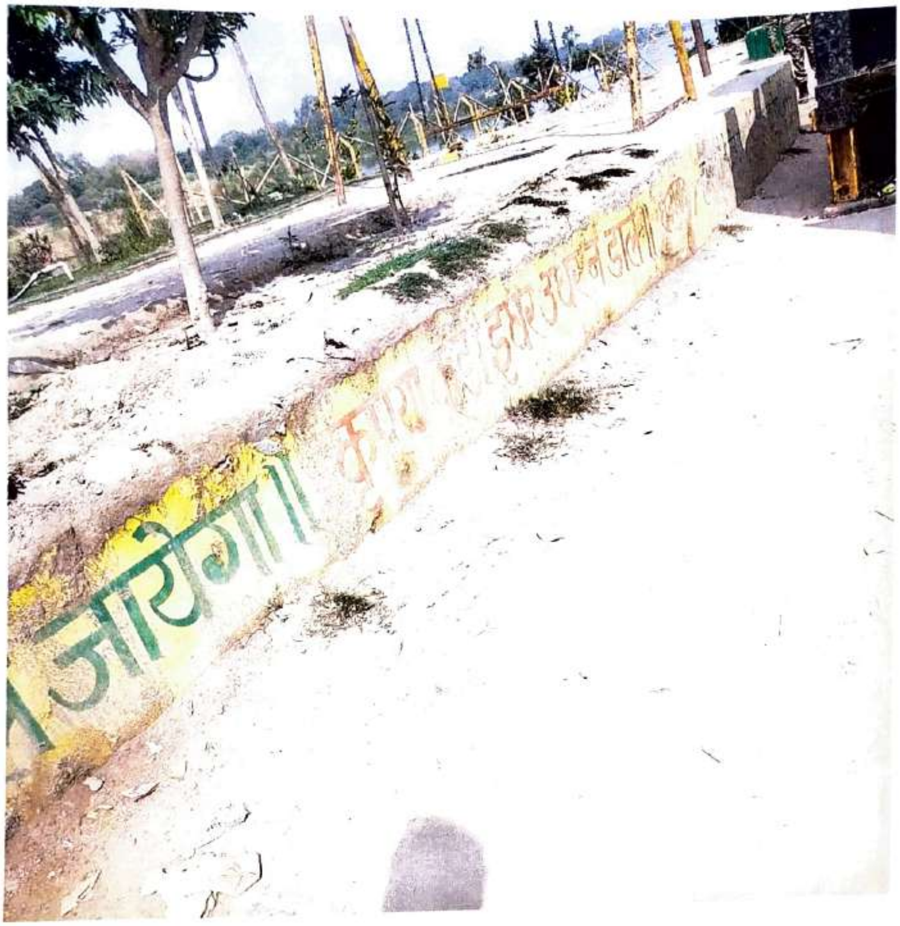
जायेगा।

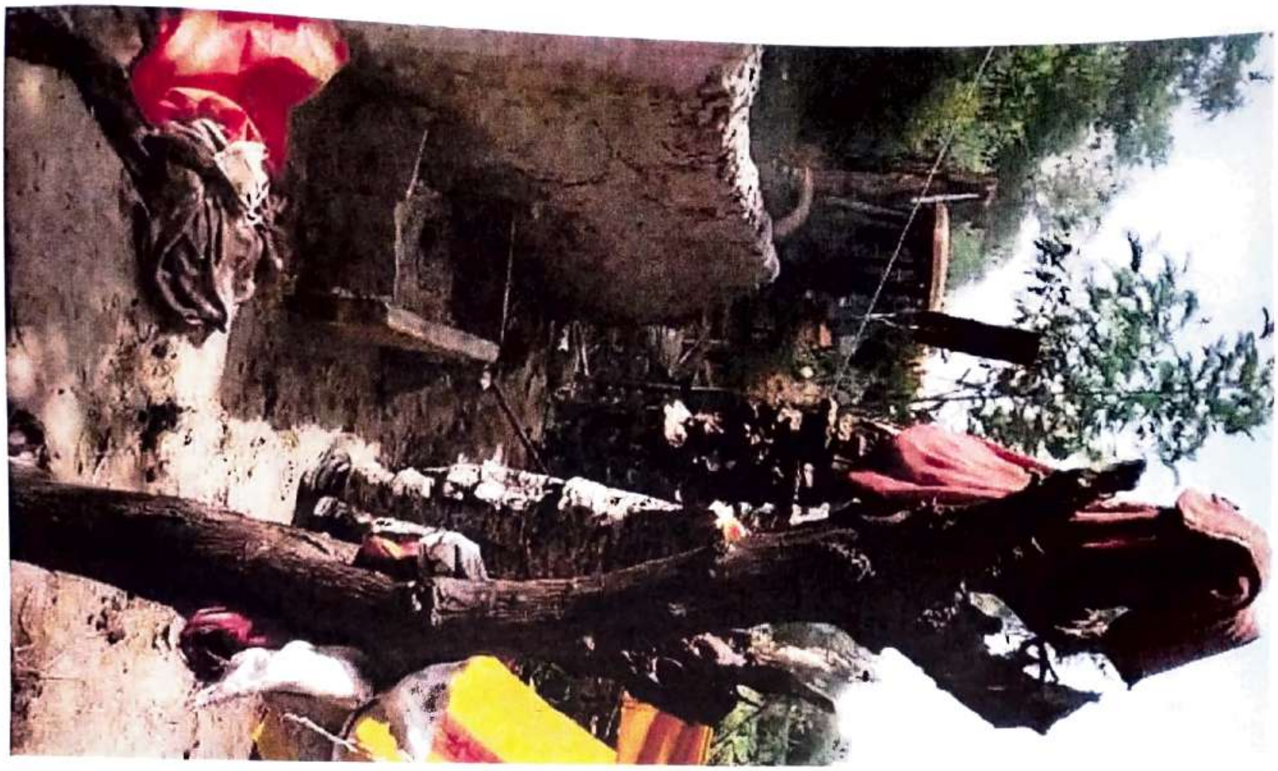

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

न्दुस्तान
www.livehindustan.com

नगर निगम की टीम ने कच्चे-पक्के निर्माण ध्वस्त कराए, मिशन के बोर्ड भी हटाए

यमुना मिशन से जमीन कराई मुक्त

कार्रवाई

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। यमुना के तटीय इलाके में यमुना मिशन के नाम पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए नगर निगम ने एनजीटी के आदेश पर सोमवार को जेसीबी से गऊ घाट, रेतिया मुहाल व जयसिंहपुरा खादर में अतिक्रमण हटवाए। साथ ही यमुना मिशन के नाम से लगाए गए बोर्डो को हटवा दिया गया। नगर निगम को करीब 40 एकड़ भूमि को अपने अधीन लेना है। इसके लिए बोर्ड भी बनवाए जा रहे हैं। साथ ही हरियाली को भी सुरक्षित किया जा रहा है।

बताते चलें कि यमुना मिशन के नाम पर यमुना के तटीय इलाकों के साथ-साथ प्राचीन घाट व परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह बैंच, दीवार के अलावा झौंपड़ी आदि बना ली गयी थीं। इस मामले को लेकर एनजीटी के आदेश पर नगर निगम द्वारा जांच की गयी। जांच के बाद यमुना मिशन को नोटिस जारी किए गए। नोटिस पर सुनवाई के बाद यमुना मिशन को उक्त भूमि से अपने अतिक्रमण हटाने के आदेश सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल द्वारा दिए गए। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। न ही उक्त भूमि पर लगे यमुना मिशन के बोर्डो को हटाया गया। इसके बाद सहायक नगर आयुक्त द्वारा एक और नोटिस जारी करते हुए पुनः 15 दिन का समय दिया गया। इस पर भी मिशन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अंततः एनजीटी के आदेश पर सहायक नगर आयुक्त द्वारा सोमवार को तीसरे दिन भी जेसीबी व प्रवर्तन दल के साथ-साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ यहां गऊ घाट, रेतिया मुहाल और जयसिंहपुरा खादर में यमुना मिशन द्वारा किए गए कच्चे-पक्के निर्माण हटाए गए। अभियान के दौरान पौधों के चारों ओर बनाए गए चबूतरों को नहीं

सोमवार को नगर निगम की जेसीबी यमुना मिशन द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त करते हुए। साथ हैं सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल। ● हिन्दुस्तान

- **हरियाली को सुरक्षित करने के भी किए जा रहे प्रयास**
- **एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई शुरु, निगम के बोर्ड लगेंगे**

हटाया गया, ताकि पेड़ सुरक्षित बने रहें न ही फेसिंग ही हटाई गई।

नगर निगम की टीम ने अभियान के दौरान यहां जगह-जगह लगाए गए यमुना मिशन के बोर्डो को हटवा दिया गया। सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने बताया कि उक्त भूमि 40 एकड़ से भी अधिक है, जिसे नगर निगम द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए बोर्ड भी बनवाए जा रहे हैं, जिनको जल्द लगवा दिया जाएगा। जमीन को मुक्त कराने का नगर निगम का अभियान निरंतर जारी रहेगा। अभियान के दौरान यमुना मिशन के कुछ लोग विरोध करने भी यहां पहुंचे, जिनको सहायक नगर आयुक्त ने हकीकत से अवगत कराते हुए अभियान जारी रखा।

Hero, Shivam Plaz
Ph: 9289922504, Kri
Hero, Meerut-Delhi R
By-pass, Ph: 9289922
…abad: Jawahar H
…62, Singla Her
Shamli: Ash

…मुना मिशन ने कब्जाई नदी की भूमि पर चला बुलडोजर

करोड़ों रुपये मूल्य की 50 एकड़ भूमि पर कच्चे-पक्के निर्माण कर रोप दिए थे पौधे, नगर निगम ने एनजीटी के आदेश पर की कार्रवाई

जासं, मथुरा: यमुना नदी के किनारे रेतिया मुहाल, जयसिंहपुरा खादर, चक्रतीर्थ घाट और गऊ घाट क्षेत्र में यमुना मिशन संस्था के कब्जों पर नगर निगम का सात साल बाद बुलडोजर चला। इस समयावधि में संस्था ने करोड़ों रुपये मूल्य की करीब 50 एकड़ भूमि पर कच्चे-पक्के और पेड़-पौधे लगाकर कब्जा कर लिया था।

नदी किनारे निकाली जा रही समानांतर सड़क और बनाए जा रहे नालों को लेकर संस्था की नीयत में खोट नजर आया तो लोगों ने एनजीटी की शरण ली। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की। मंगलवार को निगम एनजीटी के आदेश की अनुपालन आख्या भेज देगा। इसके साथ ही अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई जारी रहेगी।

यमुना मिशन संस्था ने फरवरी 2015 से यमुना नदी के बहाव क्षेत्र में पेड़-पौधों को रोपने का कार्य आरंभ कर अतिक्रमण करना आरंभ किया। धीरे-धीरे कर संस्था ने रेतिया मुहाल, जयसिंहपुरा खादर, चक्रतीर्थ घाट और गऊ घाट कच्चे-पक्के निर्माण भी करा दिए। कई घाटों को कब्जा कर गहरी झील में बदल दिया। यमुना की धारा को भी मोड़ दिया गया। सड़क और नाले भी बनवा दिए गए। जिस तरह संस्था सड़क निर्माण करा रही थी, उससे लोगों को संस्था की नीयत साफ नहीं दिखी। लोगों ने संस्था की शिकायत करना शुरू किया, अधिकारी खामोश रहे। संस्था ने सदर बाजार तक कच्ची सड़क भी नदी के समानांतर बना दी।

बिहारी लाल चतुर्वेदी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यमुना मिशन ने यमुना डूब क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर की और 28 फरवरी 21 को डीएम द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एनजीटी ने 11 मार्च 2022 को 30 जून तक अतिक्रमण हटाने के आदेश किए।

अनुपालन आख्या नगर निगम को प्राधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल के यहां दाखिल करने के आदेश भी दिए। एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम ने यमुना मिशन के कार्यों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बनाए गए नाले और सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं की।

गऊ घाट पर यमुना मिशन द्वारा किए पक्के निर्माण को तोड़ती जेसीबी। दूसरे चित्र मे सहायक आयुक्त राजकुमार मित्तल से विरोध जताते यमुना मिशन के कर्मचारी • जागरण

पकड़ी गई थी बिजली चोरी

यमुना मिशन ने नदी की भूमि पर अवैध कब्जे करने के लिए बिजली की चोरी भी की। विद्युत निगम की विजिलेंस टीम ने क्षेत्रीय एसडीओ मसानी गौरव कुमार की मौजूदगी में छापा मारा। टीम को चार सबमर्सिबल चलते मिले, जो बिजली चोरी कर चलाए जा रहे थे। यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मुहल्ला मानिक चौक के नाम 6 जुलाई 2021 को विद्युत चोरी निरोधक थाना कृष्णा नगर मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। करीब 4.17 लाख रुपये की बिजली चोरी हुई थी।

गुमराह कर रहा नगर निगम

विश्वधर्म रक्षक दल के विजय चतुर्वेदी ने नगर निगम पर आरोप लगाया, अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुमराह किए जाने की कोशिश की जा रही है। यमुना मिशन ने पुराने घाटों के आगे 30 फीट ऊंची कच्ची सड़क बना दी। वृंदावन से गोकुल तक गोचर भूमि कब्जा ली गई। झूला, कच्चे-पक्के निर्माण को हटाकर एनजीटी को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है, यमुना मिशन के संस्थापक के खिलाफ निगम को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए।

> यमुना नदी किनारे यमुना मिशन ने किए कब्जे को हटाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। मंगलवार को एनजीटी को अनुपालन आख्या रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अतिक्रमण का हटाने का कार्य भी जारी रहेगा। पौधों का नहीं तोड़ा जा सकता है।
>
> **राजकुमार मित्तल**, सहायक नगर आयुक्त

Mathura
Shree Dwarikadhish Temple, Mathura
Yamuna Ghat
Vishram Ghat
Temple
Kotwali Rd
Google
TILAK DWAR
BANGALI
Vijay Estate, Rajadhiraj Bazar, Gol Pada, Mathura, Uttar Pradesh 281001, India
Mathura
Uttar Pradesh
India
2022-06-16(Thu) 06:43(AM)
34°C
93°F
S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
स्वच्छता निरीक्षक
निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा

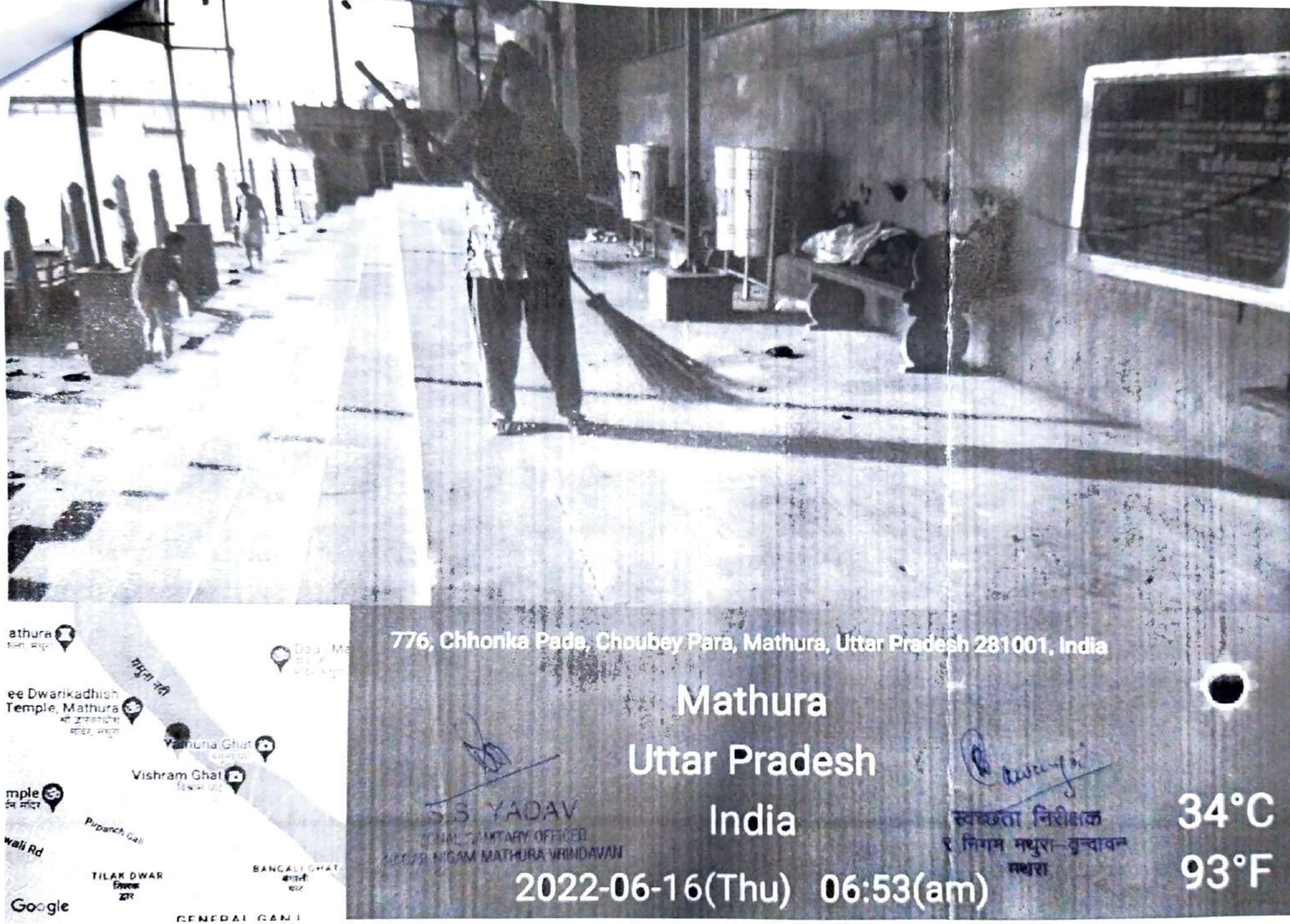
776, Chhonka Pada, Choubey Para, Mathura, Uttar Pradesh 281001, India
Mathura
Uttar Pradesh
India
2022-06-16(Thu) 06:53(am)
34°C
93°F
S.S. YADAV
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN
स्वच्छता निरीक्षक
मथुरा
Vishram Ghat
Temple, Mathura
TILAK DWAR
Google

Naya Bazar, GM4M+HMV, Chowk Bazar, Mathura, Uttar Pradesh 281001, India

Mathura

Uttar Pradesh

India

2022-06-16(Thu) 06:55(AM)

34°C

93°F

S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN

स्वच्छता निरीक्षक
र निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

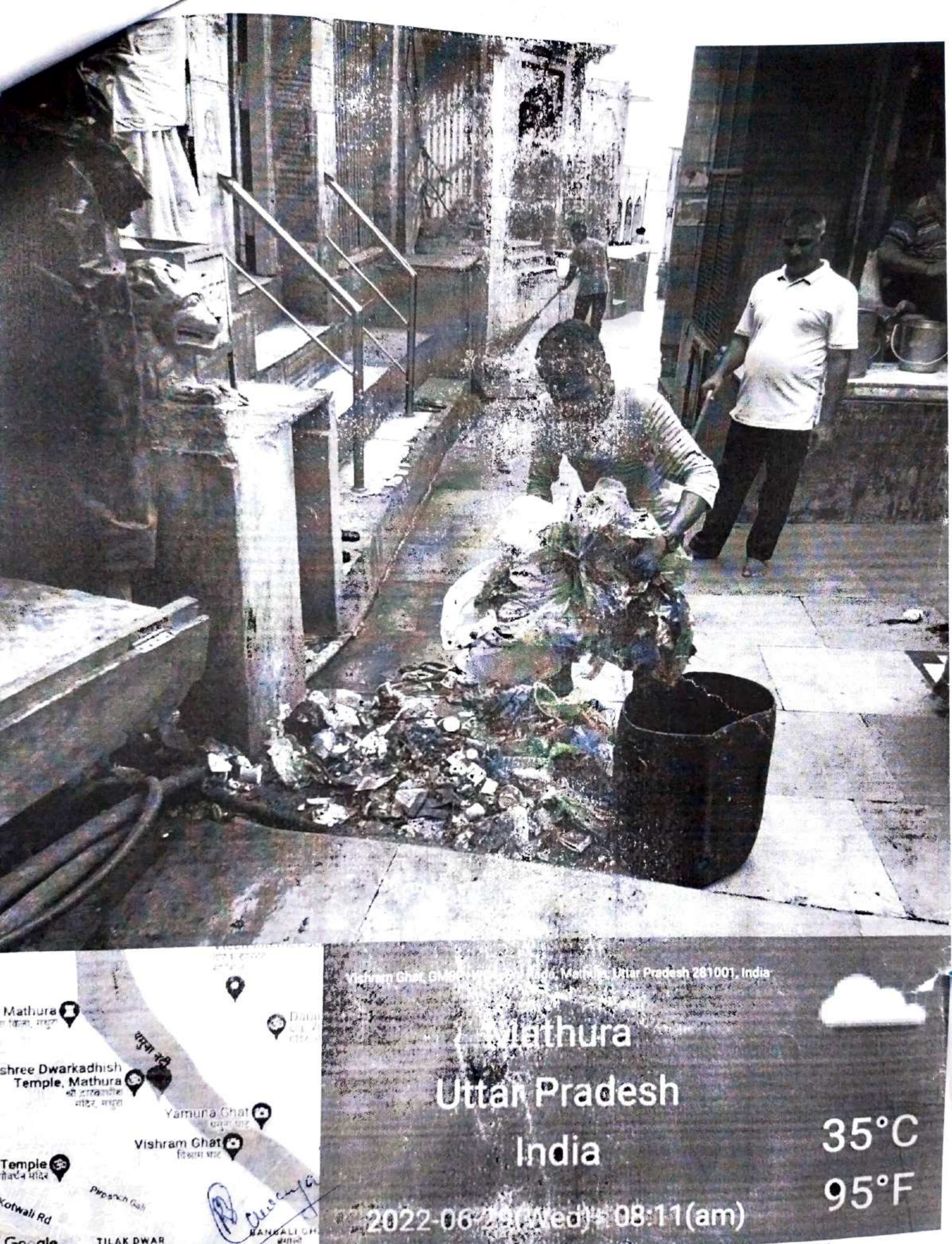

स्वच्छता निरीक्षक
र निगम मथुरा-वृन्दावन

S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN

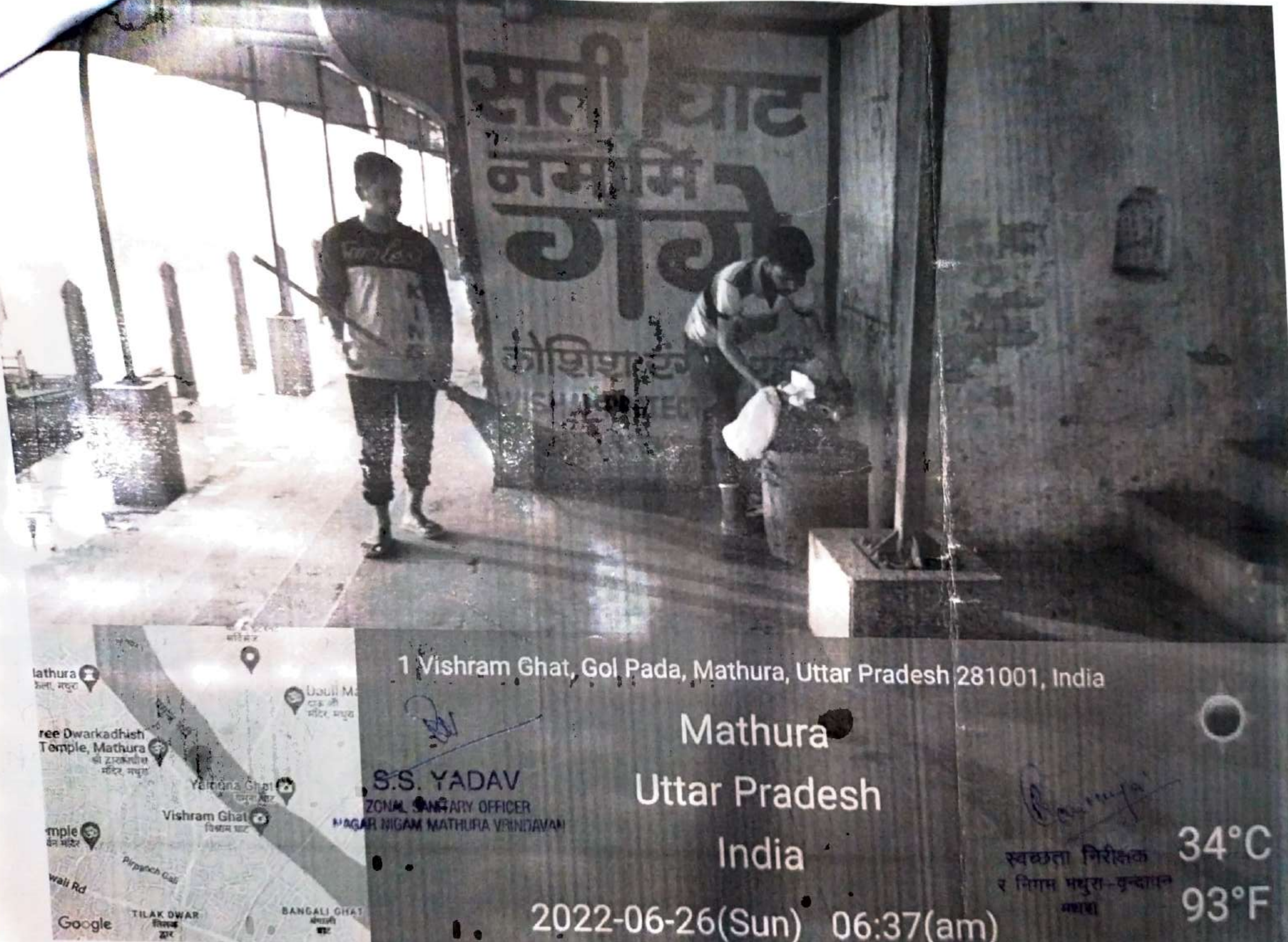

S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN

स्वच्छता निरीक्षक
र निगम मथुरा-वृन्दावन

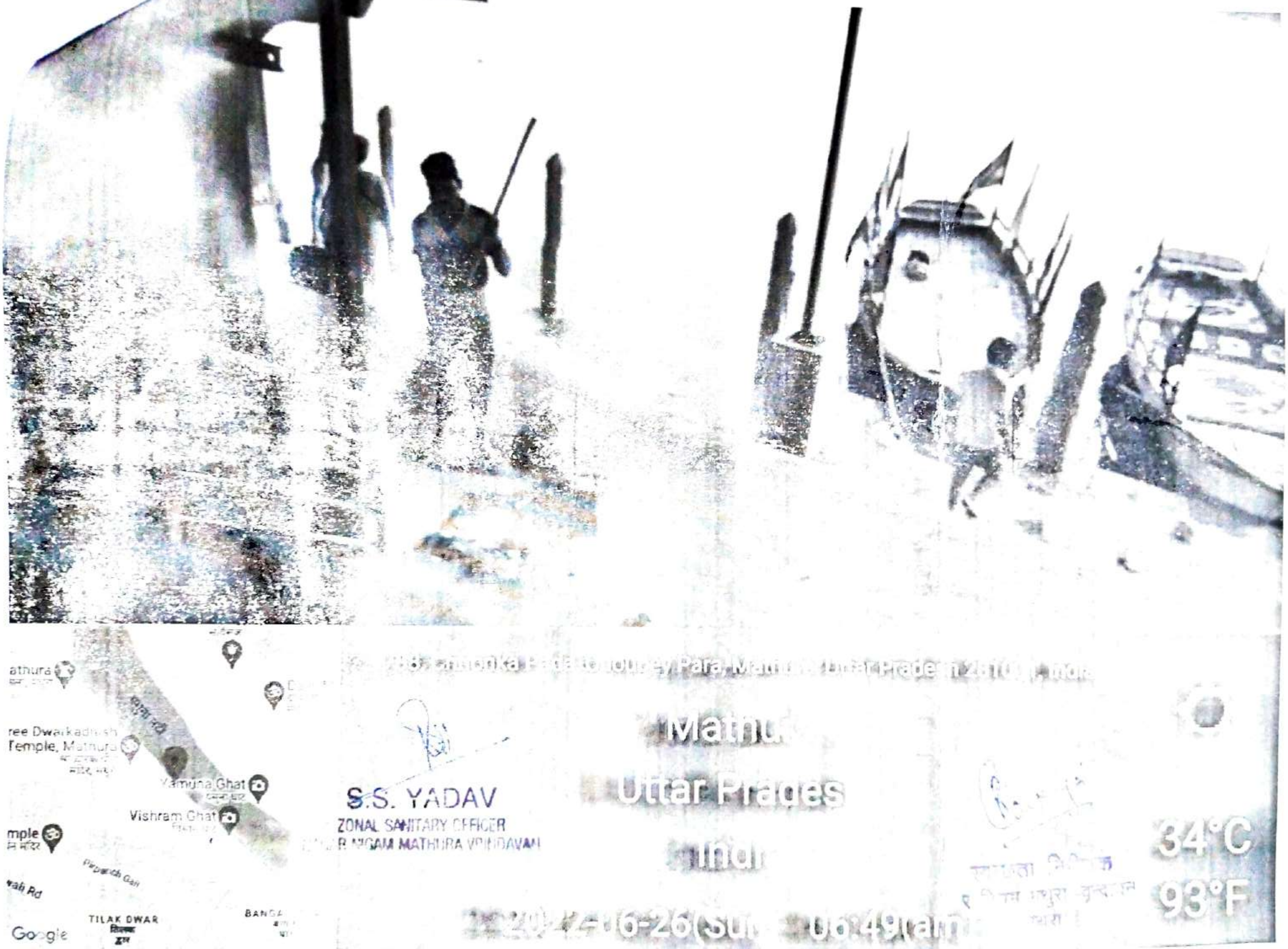

S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NIGAM MATHURA VRINDAVAN

Vishram Ghat Gol Pada, Mathura, Uttar Pradesh 281001, India
Mathura
Uttar Pradesh
India
35°C
95°F
2022-06-26(Sun) 07:20(am)
S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN
स्वच्छता निरीक्षक
Shree Dwarkadhish Temple, Mathura
Yamuna Ghat
Vishram Ghat
Google
TILAK DWAR

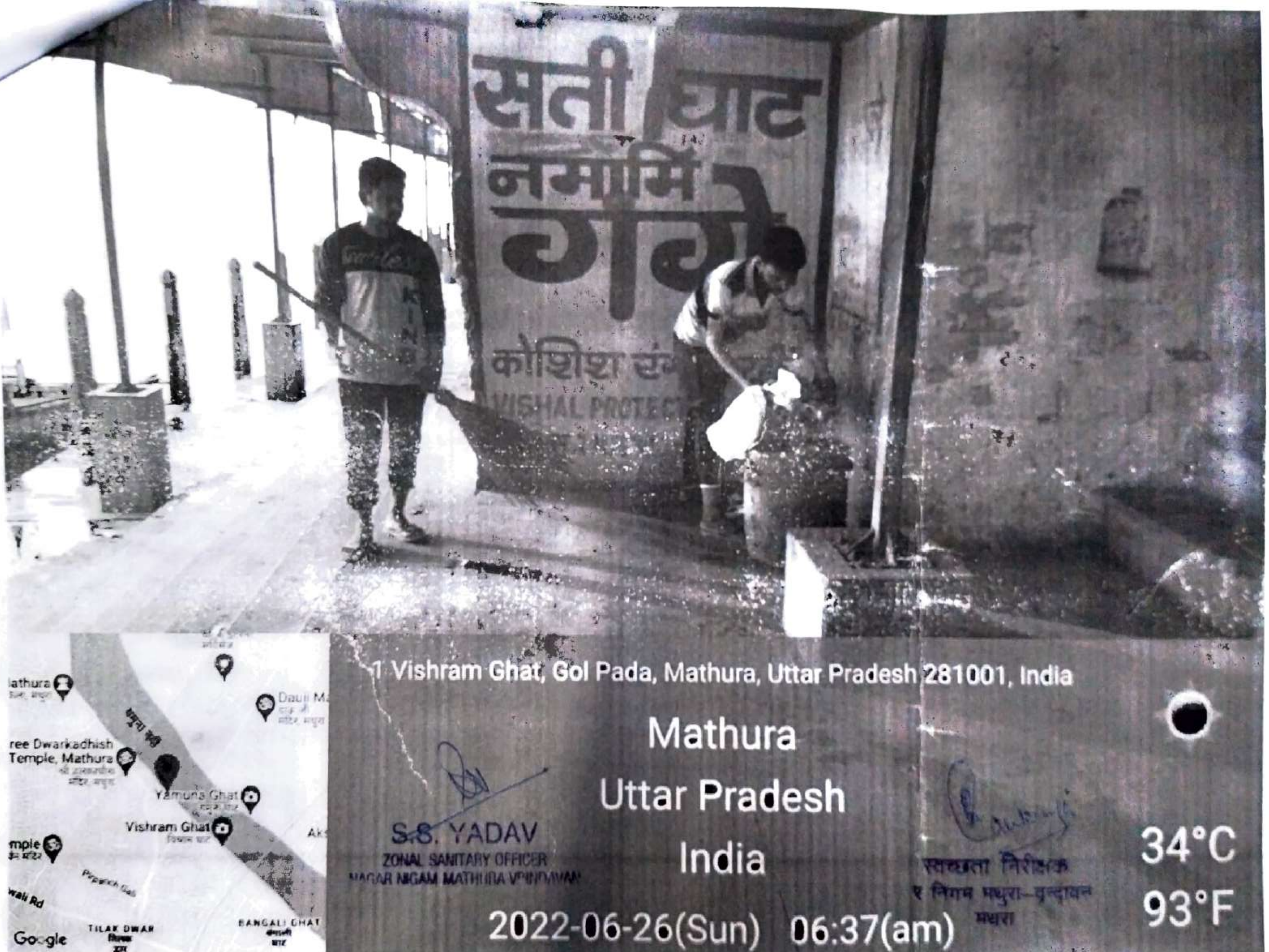
सती घाट
नमामि गंगे
कोशिश रं
VISHAL PROTECT
1 Vishram Ghat, Gol Pada, Mathura, Uttar Pradesh 281001, India
Mathura
Uttar Pradesh
India
2022-06-26(Sun) 06:37(am)
34°C
93°F
S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN
स्वच्छता निरीक्षक
र निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा
Mathura
Temple, Mathura
Yamuna Ghat
Vishram Ghat
Google
TILAK DWAR
BANGALI GHAT

1 Vishram Ghat, Gol Pada, Mathura, Uttar Pradesh 281001, India
Mathura
Uttar Pradesh
India
2022-06-26(Sun) 07:20(am)
35°C
95°F
S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN
स्वच्छता निरीक्षक
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा
Shree Dwarkadhish Temple, Mathura
Yamuna Ghat
Vishram Ghat
TILAK DWAR
BANGALI GHAT
Google

प्रेषक

ANNEXURE-4

जिला पंचायतराज अधिकारी
मथुरा।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र.)
उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
भवन सं0– 65 ए. बल्देव पुरी,
महोली रोड, मथुरा।

पत्रांक 1134 /प /सात /ए डी पी आर ओ /2022 दिनांक 29.6.22

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं.– 326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक दिनांक 11-03-2022 की अनुपालन आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 269/0–80/2022, दिनांक 17–05–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं.– 326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक दिनांक 11–03–2022 के अनुपालन में दिनांक 30–04–2022 एवं दिनांक 09–05–2022 को क्रमशः अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सलग्न करते हुए अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अद्यतन कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में दिनांक 30–04–2022 एवं दिनांक 09–05–2022 को क्रमशः अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में पंचायतराज विभाग, जनपद मथुरा से सम्बन्धित आख्या कार्यालय पत्र संख्या– 1107/पं./सात/ए.डी.पी.आर.ओ./2022, दिनांक 28–06–2022 के द्वारा प्रेषित की गयी। पुनः संशोधित सूचना निम्नवत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

क्र. सं.	कार्यवृत्त	आख्या
1	घाटों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव व प्रबन्धन तथा यमुना नदी की प्राकृतिक परिस्थितिकी का संरक्षण किए जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय क्षेत्र में नगर निगम मथुरा एवं ग्रामीण क्षेत्र में डी.पी.आर.ओ. द्वारा घाटों की साफ–सफाई एवं नदी में प्रवाहित होने वाले फ्लोटिंग मैटेरियल को समय–समय पर सफाई किए जाने एवं यमुना नदी की जल गुणता हेतु उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुश्रवण कर आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। नगर निगम व डी.पी.आर.ओ. आख्या प्रत्येक सप्ताह 04 बिन्दु के प्रपत्र में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	कंस किला, गऊघाट, स्वामी घाट, ध्रुवघाट, सुर्दशन घाट और महादेव घाट नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा के अन्तर्गत आते है, ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नहीं आते है। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले घाटों की साफ–सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है।

भवदीय,

जिला पंचायतराज अधिकारी
मथुरा।

पत्रांक– 1134 दिनांक– यथोपरि।
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. जिलाधिकारी महोदय मथुरा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मथुरा।
3. अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) मथुरा।

जिला पंचायतराज अधिकारी
मथुरा।

ANNEXURE-5

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in
ट्यूटर हैण्डल :- @UppcbMathura

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक:500(A)/0-80/2022

दिनांक 28-06-2022

Annexure-5

It is to state that Yamuna river water quality monitoring is performed monthly at 09 places of river at Mathuraviz u/s shahpur, d/s shahpur, u/s vrindawan, d/s vriandawan, vishramghat, u/s dhruvghat, d/s dhruvghat, u/s gokul barrage, d/s gokulbarrage(data attached). As per observation of data, River water qualityis more deteriorated as river enters district Mathura and it slightly improves as river passed through Mathura district. In order to improve the natural ecology of river at Mathura, the following measures shall be enforced-

a) All the river ghats shall have sufficient dustbins to dispose the worship waste, garlands &polythenes etc. in order to clean ghats/river.
b) Hoardings/wall paintings on ghats& boats shall be done with awareness messages in order to conserve natural beauty and cleanliness of rivers/ghats.
c) Milk, flower & leaves shall not be disposed into the river to deteriorate the water quality of river.
d) Industrial/Sewage may be discharged through proper ETP/STP.

28/06/2022

(Manoj kumar Chaurasia)

Regional Officer (I/c.)

UP Pollution Control Board Mathura

क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा द्वारा मथुरा के शहरी क्षेत्र से लगे हुए यमुना तट पर जलीय गुणवत्ता लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। उक्त बिन्दुओं पर माह जनवरी–2022 से विश्लेषित की गयी जलीय गुणता की स्थिति निम्नवत् है।

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT U/S MATHURA

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.4	5.8	8.6	36	112	84000	33000
07.02.2022	7.3	5.4	9.0	40	104	92000	34000
07.03.2022	7.4	4.4	12.6	48	124	94000	43000
11.04.2022	7.9	5.8	11.2	44	176	84000	33000
05.05.2022	8.0	5.6	13.2	52	188	94000	39000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT VISHRAMGHAT

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.4	5.4	9.4	40	116	92000	32000
07.02.2022	7.3	4.6	10.0	44	106	94000	38000
07.03.2022	7.6	4.2	13.4	52	128	110000	46000
11.04.2022	8.1	5.4	11.4	48	180	92000	40000
05.05.2022	7.9	5.2	13.6	48	194	110000	46000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT D/S MATHURA

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.6	4.2	9.6	40	120	92000	38000
07.02.2022	7.2	4.4	10.2	48	108	110000	39000
07.03.2022	7.5	4.2	13.8	52	132	120000	49000
11.04.2022	8.2	5.2	11.8	52	184	94000	43000
05.05.2022	8.1	4.4	14.0	52	196	120000	49000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT U/S GOKUL BARRAGE

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
16.01.2022	7.3	5.2	9.0	36	118	84000	27000
23.02.2022	7.2	4.8	8.2	32	110	70000	26000
14.03.2022	7.4	4.2	12.4	48	136	92000	33000
28.04.2022	7.9	5.2	14.8	32	152	110000	46000
13.05.2022	8.0	4.8	12.8	36	204	94000	40000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT D/S GOKUL BARRAGE

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
16.01.2022	7.4	6.4	8.8	32	122	79000	26000
23.02.2022	7.1	5.6	9.8	36	114	79000	27000
14.03.2022	7.3	5.4	13.6	56	142	110000	39000
28.04.2022	8.0	4.6	15.4	36	160	120000	49000
13.05.2022	8.1	4.2	13.4	40	210	110000	49000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT U/S VRINDAVAN, MATHURA

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.5	6.8	7.6	28	106	70000	26000
07.02.2022	7.4	5.6	8.8	34	98	79000	27000
07.03.2022	7.3	4.8	11.4	36	118	84000	31000
11.04.2022	7.8	6.4	9.66	40	158	79000	26000
05.05.2022	7.7	6.2	11.0	44	180	84000	31000

S.A. RO

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT D/S VRINDAVAN, MATHURA

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.6	5.4	8.0	32	110	79000	31000
07.02.2022	7.3	5.2	9.2	36	102	84000	32000
07.03.2022	7.2	4.6	11.8	40	122	92000	34000
11.04.2022	7.9	6.2	10.4	44	164	84000	31000
05.05.2022	7.8	5.8	12.0	48	186	92000	33000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT U/S SHAHPUR, MATHURA

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.3	4.8	10.2	40	116	94000	39000
07.02.2022	7.1	5.6	9.8	32	110	92000	38000
07.03.2022	7.6	3.6	15.6	56	136	120000	46000
12.04.2022	7.7	4.6	13.4	52	192	140000	70000
06.05.2022	7.6	5.6	15.4	56	216	150000	63000

WATER QUALITY STATUS OF YAMUNA RIVER AT D/S SHAHPUR, MATHURA

DATE	pH	D.O.	B.O.D. (mg/l)	C.O.D. (mg/l)	CL (mg/l)	Total Coliform	Fecal Coliform
10.01.2022	7.4	4.2	10.8	44	122	110000	46000
07.02.2022	7.2	5.1	10.2	36	114	94000	40000
07.03.2022	7.7	3.2	16.2	64	140	140000	49000
12.04.2022	7.8	4.2	13.8	56	204	170000	79000
06.05.2022	7.7	4.8	16.0	60	224	170000	70000

S.A.

RO

ANNEXURE-6

pmypcuagra@gmail.com

मो० नं० : 09473942644

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

पत्रांक 382 / स्व.जो.टी. / 0.1 दिनांक 22.6.2022

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
भवन संख्या–65ए वल्देवपुरी
मथुरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जलशक्ति मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 एवं दिनांक 11.03.2022 के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या–425/0.80/2022/दिनांक 15.06.2022 हुई वार्ता के संदर्भ अवगत कराना है कि यमुना मिशन परिधि क्षेत्र के पास 7 नग नाला टेपिग पड़ती है जो (1). चिन्ताहरण नाला, (2) किशन गंगा (3) चक्रतीर्थ नाला (4) ऑक्ट्राय पोस्ट नाला (5) शाहगज नाला (6) मसानी नाला (7) जयसिंहपुरा नाला। यह नाले पूर्णत टेप्ड है। जिनमें कोई ओवर फ्लो नहीं होता है। उपरोक्त सभी नालों का अशोधित श्राव का शोधन मसानी एसटीपी के माध्यम से किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित है।

भवदीय
(लोकेश शर्मा)
परियोजना प्रबंधक

D:\2021\Daily Letter\Daily Latter 2021

ANNEXURE - 7

महोदय,

संलग्न आदेश माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली दि. 11/03/2022 पर पारित आपके आदेश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि कंस किला, गऊ घाट, स्वामी घाट, ध्रुव घाट स्थित यमुना नदी किनारे, मथुरा नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा सीमांतर्गत है जिसमें कार्यवाही नगर निगम से अपेक्षित है. सुदर्शन घाट व महादेव घाट के संबंध में पूछताछ करने पर संज्ञानित नहीं हो पाया है. आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

[signature] 23/06/2022 लेखपाल

महोदय लेखपाल आख्या सम्प्रेषित।

[signature] 23-06-22

रा. नि. आख्या सम्प्रेषित

[signature, stamp] 23.6.22

123

ANNEXURE-8

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक:– 385 / स०न०आ०का० / न०नि०म०वृ०मथुरा / 2021–22 दिनांक :– 25 .01.2022

नोटिस

श्री प्रदीप बंसल,
संस्थापक,
यमुना मिशन, मथुरा।

आपकी संस्था द्वारा नगर निगम की बिना अनुमति के गऊघाट के समीप यमुना नदी के किनारे नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए पेड–पौधे लगाकर एवं कच्चे–पक्के घाट का निर्माण कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसी प्रकार ग्राम जयसिंहपुरा व रेतिया मुहाल में भी करोडों रूपये मूल्य की लगभग 50 एकड़ भूमि पर कच्चा–पक्का निर्माण कराकर एवं पेड़–पौधे लगाकर भूमि कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आपकी संस्था द्वारा डूब क्षेत्र में सिचाई विभाग एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है तथा नगर निगम भूमि पर बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए ही अवैध निर्माण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको नोटिस जारी किया गया था।

इस नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी भी स्तर, यथा शासन / प्रशासन / नगर निगम आदि, से अनापत्ति प्राप्त की गयी हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 27.01.2022 तक उपलब्ध कराएं, यदि अनुमति न हो तो आप यमुना नदी के किनारे नगर निगम भूमि पर किए गये समस्त अवैध निर्माणों को आगामी 03 दिवस में हटवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं आपकी संस्था के विरूद्व, भूमि रिक्त कराते हुए, विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपि:–
1. सचिव महोदय, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड मथुरा।
3. अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग, मथुरा।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

2403

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्रांकः– 52 / स०न०आ०का० / न०नि०म०वृ०मथुरा / 2021 दिनांक :– 03.06.2021

नोटिस

श्री प्रदीप बंसल,
संस्थापक,
यमुना मिशन, मथुरा।

गऊघाट के समीप यमुना नदी के किनारे पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 02.06.2021 को अधिशासी अभियंता (निर्माण) नगर निगम मथुरा वृन्दावन के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि आपकी संस्था द्वारा अवैध रूप से नगर निगम की भूमि पर कब्जा करते हुए यमुना नदी के किनारे पक्के घाट का निर्माण कर दिया गया है तथा आस–पास के अन्य क्षेत्र को भी पक्का निर्माण कराकर पार्क का रूप दिया जा रहा है। आपकी संस्था ने इस कार्य द्वारा सिचाई विभाग एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है तथा नगर निगम भूमि पर बिना अनुमति अवैध निर्माण कर लिया गया है।

इस नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अवैध निर्माण आगामी 03 दिन में हटाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं आपकी संस्था के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

महोदय
कार्यालय में मेरा महेश्वरी मैडम ने
नोटिस लेने से मना किया अतः कार्यालय के
बाहर चस्पा नोटिस चस्पा कर दिया है।
10-6-2021

1923

ANNEXURE - 9

(2)

सेवा में

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय,
थाना गोविन्दनगर , मथुरा

विषय:- यमुना नदी के किनारे यमुना के फ्लड प्लेन में बिना सक्षम अनुमति / स्वीकृति के कच्चा / पक्का स्थायी निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ध्रुवघाट से लेकर जयसिंहपुरा खादर तक लगभग 7 से 8 किमी0 लम्बाई में यमुना नदी के किनारे एवं फ्लड प्लेन में कब्जा करने की नीयत से कच्चे / पक्के निर्माण कार्य यमुना मिशन द्वारा किये जा रहे हैं।

यमुना मिशन के कार्य संस्थापक श्री प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मानिकचौक, मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामंडी चौक बाजार मथुरा द्वारा कराये जा रहे हैं।

यमुना मिशन को पत्रांक 227 / दिनांक 23.10.2018 द्वारा धारा 441 में नोटिस जारी किया गया था। श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा कुछ अभिलेख प्रस्तुत किये गये परन्तु अवैधानिक कब्जा एवं कार्यो के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि निर्दोष साबित हो सकें। यमुना मिशन द्वारा इन कार्यो को करने के लिए किसी भी विभाग के सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

अतः यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मानिकचौक, मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामंडी चौक बाजार मथुरा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक- 3/11/2018.

संजीव कुमार तिवारी
सहायक अभियन्ता प्रथम
अपर खण्ड आगरा नहर
मथुरा
मोबाइल - 9639810058

बृजराज सिंह
जिलेदार द्वितीय
अपर खण्ड आगरा न0 9456862712
मथुरा

राम अवतार शर्मा
सींचपाल बारी
अपर खण्ड आगरा न0
मो0 8126641924

(2)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section-154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): मथुरा | P.S. (थाना): गोविन्द नगर | Year (वर्ष): 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. 0708 | Date.&Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 03/11/2018 17:07 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) — Sections (धारा(एँ))

1 भा द सं 1860 — 431

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 03/11/2018 Time (समय): 16:57 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):040 Date & Time (दिनांक और समय): 03/11/2018 16:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):पूर्वोत्तर, 2 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जयसिंहपुरा खादर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री संजीव कुमार तिवारी सहायक अभियन्ता प्रथम

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यू आईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अपरखण्ड आगरा नहर,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	अपरखण्ड आगरा नहर,गोविन्द नगर,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

गोविन्द नगर मथुरा

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री प्रदीप दत्त			1. हरा फाटक मानिकचौक,कोतवाली, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	श्री अनिल कुमार शर्मा			1. शीतलाघाटी घीयामन्डी ,कोतवाली, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो :

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

1

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाइपशुदा वादी .... सेवा मे श्री मान थानाध्यक्ष महोदय थाना गोविन्दनगर मथुरा विषय यमुना नदी के किनारे फ्लड प्लेन मे बिना सक्षम अनुमति /स्वीकृति के कच्चा /पक्का स्थायी निर्माण करने के सम्बन्ध मे महोदय उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ध्रुव घाट से लेकर जयसिंहपुरा खादर तक लगभग 7से 8 किमी0 लम्बाई मे यमुना नदी के किनारे एव फ्लड प्लेन ने कब्जा करने की नी.त से कच्चे /पक्के निर्माण कार्य यमुना मिशन द्वारा किये जे रहे है। यमुना मिशन के कार्य संस्थापक श्री प्रदीप बंशल निवासी हरा फाटक मानिक चौक मथुरा एवं संयोजक.श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतला घाटी घीयामन्डी चौक बाजार मथुरा द्वारा कराये जे रहे है यमुना मिशन को पत्रांक 227/दिनांक 23.10|2018 द्वारा धारा 441 मे नोटिस जारी किया गया था श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा कुछ अभिलेख प्रस्तुत किये गये परन्तु अवैधानिक कब्जा एव कार्यों के सम्बन्ध मे कोई भी एसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया कि निर्दोश साबित हो सके। यमुना मिशन यमुना-मिशन द्वारा इन कार्यो को करने के लिए किसी भी विभाग के सक्षम स्तर से कोई अनुमिति प्राप्त नही की गयी है अतः यमुना मिशन के संस्थापकश्री प्रदीप बंशल निवासी हरा फाटक मानिक चौक मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीया मन्डी चौक बाजार मथुरा के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करे दिनांक 3/11/2018 एसडी अंग्रेजी संजीव कुमार तिवारी सहायक अभियन्ता प्रथम आगरा नहर मथुरा मोबाइल 9639810058 एसडी अंग्रेजी वृजराज सिह जिलेदार द्वितीय अपरखण्ड आगरा मथुरा न0 9456862712 एसडी हिन्दी रामअवतार शर्मा रामअवतार शर्मा सींचपाल घाटी अपर खण्ड आ0न0म0 मो0 8126646924 नोट मै सीसी 368 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

गोविन्द नगर मथुरा

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):Rambhool Sharma Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(812028432 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जाच के लिए):

or (के कारण इन्कार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant,(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): PS Govind Nagar
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454403941